P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कौशल विकास योजनाएँ

सारांश

आज शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के बीच बेमेल बहुत अधिक है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 54 प्रतिशत युवा मानते है कि माध्यमिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ते है। 10वीं कक्षा से उच्च शिक्षा के बीच 56 प्रतिशत छात्र पढ़ना छोड़ देते है। इन सभी तथ्यों और धारणाओं के बीच कुछ ही लोगों को रोजगार तथा प्रशिक्षण मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार – 53 प्रतिशत भारतीय नियोक्ताओं को लगता है कि आरंभिक स्तर के पदो पर रिक्तियों का प्रमुख कारण कौशल में कमी है। इसलिए हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय युवाओं की आकांक्षाएं तथा नियोक्ता की अपेक्षाएं बेमेल है। इस प्रकार रोजगार एवं रोजगार की योग्यता के बीच बड़ी खाई है। देश के सामने मुख्य चुनौती है – 25 वर्ष से कम उम्र वाले उन लाखों युवाओं के लिए रोजगार ढूंढना, जो भारतीय जनसंख्या के 50 प्रतिशत है।

मुख्य शब्द : कौशल विकास, योजनाओं का देश के विकास पर प्रभाव, महिलाओं पर प्रभाव

मंजुलता कश्यप
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जॉजगीर,छत्तीसगढ़

प्रस्तावना

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड है, जिसमें 67.2 करोड़ व्यक्ति 15–59 वर्ष की आयु के है, जिन्हे सामान्यतया कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इनमें से लगभग 25 करोड व्यक्ति 15–24 वर्ष की आयु के है जो कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। यदि इस युवाशक्ति की उर्जा का सदुपयोग होगा तो यह भारत की विशिष्ट मानव संपदा के रूप में देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही अन्य देशो में कुशल श्रम की कमी, बढ़ती आउट सोर्सिंग की प्रवृत्ति के कारण विदेश में भी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेगें। योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार अगले 20 वर्षो में भारत में श्रम शक्ति में 32 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि अन्य औद्योगिक देशो में इसमें 4 प्रतिशत की कमी एवं चीन में 5 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावनाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास में उच्च स्तर प्राप्त करना और आजीविका के गुणवत्ता पूर्ण साधन उपलब्ध कराना जरूरी है।

साहित्यावलोकन

शालिनी[1] के अनुसार आवश्यकता इस बात की है कि स्कूलो में जल्द ही कौशल कला को लाया जाए। हर बच्चे को किसी न किसी कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरोज कुमार शुक्ल[2] के अनुसार शिक्षा आज बहुआयामी हो गई है। शिक्षा न केवल एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है। बल्कि अन्य मानव अधिकारों को उपलब्ध कराने वाला एक कारगर उपाय भी है। प्रो. के.एम. मोदी[3] के अनुसार अत्यंत विकसित देश भी अपने गॉवो का विकास तीव्र गति से करके ही विकसित देशो की कतार में पंक्तिबद्ध हो पाए है। डॉ. राकेश अग्रवाल[4] के अनुसार मेक इन इंडिया का सीधा सा अर्थशास्त्र है – उत्पादन बढ़ाओं, रोजगार के अवसर पैदा करो, क्रयशक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ हो। दिलीप चिनाय[5] के अनुसार कौशल पारितंत्र को इस समय प्रगतिशील भारत के लिए एक स्पष्ट दिशा मिलती दिख रही है और स्वयं को कुशल भारत, कौशल भारत के एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित करने का यह सबसे अच्छा समय है। अरूण मायरा एवं मदन पड़की[6] के अनुसार अब हमे यह देखना होगा कि ये संरचनात्मक सिद्धांत किस प्रकार नवीन उद्यमों को आकार दे रहे है और साथ ही साथ युवाओं को नए कौशल सीखने और नए उद्यमों का सृजन करने में समक्ष भी बना रहे है। रमेश सिंह[7] के अनुसार कौशल विकास की अवधारणा का उद्भव वास्तव में व्यवसायिक शिक्षा से हुआ है। सुनीता सांची[8] के अनुसार स्थान, भूगोल, लिंग, सामाजिक एवं धार्मिक समूहो

शिक्षा तथा कौशल के निम्न स्तरों के लिहाज से लक्षित समूहों की विविधता देखते हुए कौशल विकास की चुनौती बहुत जटिल है। एस.एस. मंथा[9] के अनुसार जनसंख्यात्मक लाभांश का फायदा उठाने का इंतजार न कीजिए। इसकी बजाए एक मार्ग अथवा माध्यम तैयार कीजिए, जो तेज सुरक्षित और आधुनिक हो। पवन रेखा कुमारी[10] के अनुसार स्किल इंडिया फ्रेमवर्क मे स्त्रियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई है। रमेश भारद्वाज[11] के अनुसार गांधी जी हमेशा स्वावलंबन पर जोर देते रहे। स्वावलंबन का यह रास्ता विभिन्न तरह के कौशलो से होकर गुजरता है। कुमार प्रशांत[12] ने कौशल विकास का गॉधी मार्ग बताया गॉधी जी जानते थे कि मनुष्य ईश्वरजन्य होता है लेकिन कुशलता मनुष्य जन्य होती है। अरविन्द कुमार सिह[13] ने कृषि क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। मनोज जोशी एवं अन्य[14] ने बताया कि कौशल विकास को प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से अभिगृहीत या विकसित प्रवीणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विष्णु राजगढ़िया[15] ने कौशल विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण किया। तरूण कुमार शर्मा[16] ने कौशल विकास में चुनौतियों का अध्ययन कर यह बताया कि युवाओं को केवल संगठित क्षेत्र में समाहित नहीं किया जा सकता। सचिन अधिकारी[17] के अनुसार सरकारों ने स्किल डवलपमेन्ट को हमेशा ही राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा है। पीयूष कुमार दुबे[18] ने बताया कि विकलांगजनों के कौशल से अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी। लक्ष्मीदास[19] के अनुसार गॉधी जी ने गॉव–गॉव में चलने वाले धंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। जतिंदर सिंह[20] के अनुासर सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक नए मंत्रालय की शुरूआत की है। इससे देश में कौशल विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. कौशल विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
2. कौशल विकास किस प्रकार से देश के विकास पर प्रभाव डाल रहा है, इसका अध्ययन करना।
3. कौशल विकास से विशेषकर महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि

द्वितीयंक सामंको पर आधारित अप्रत्यक्ष, व्यवहारिक शोध।

उपकल्पना

1. कौशल विकास योजनाओं से देश ख्का विकास होगा।
2. महिला सशक्तिकरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ

स्कूली शिक्षा छोड़ने वालो के लिए

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

स्कूल छोड़ने वालो को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान कर उद्योग को अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिक उपलब्ध करना। औद्योगिक रोजगार के लिए अनुकूल कौशल देकर शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी घटाना।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमन करना।

ट्राइफेड

हस्तशिल्प, हथकरघा के लिए कौशल विकास, उन्नयन एवं क्षमता निर्माण – आदिवासी उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना।

महिलाओ एवं किशोरियों के लिए

सपोर्ट टु ट्रेनिंग एण्ड इम्प्लॉयमेन्ट प्रोग्राम (स्टेप)

महिलाओं को रोजगार/स्वरोजगार/ उद्यमी बनाने के लिए दक्षता एवं कौशल प्रदान करना।

प्रियदर्शिनी योजना

महिलाओं को प्रभावी स्वयं सहायता समूह में संगठित करना।

स्वाधार गृह (पुनर्वास के लिए कौशल विकास)

प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले नए स्वाधार गृह निम्न उद्देश्यों के साथ स्थापित किए जाएगें – उन आपदाग्रस्त महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा देखभाल की मूलभूत सुविधा प्रदान करना। समाज में पुनर्वास के लिए कदम उठाने हेतु कानूनी सहायता एवं निर्देश उपलब्ध कराना।

सबला – राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना

11–18 वर्ष के आयु वर्ग में किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी स्तर में सुधार करना तथा उन्हे जीवनोपयोगी कौशल, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से नवम्बर 2010 में आरंभ।

कौशल उन्नयन

कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती अथवा आदिवासी अथवा पिछड़े जिलो में महिलाओं के व्यवसायिक कौशल में वृद्धि करना तथा उन्हे स्व रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना है।

ग्रामीण गरीबो के लिए

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

2017 तक 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार के योग्य प्रशिक्षण देने का लक्ष्य।

ग्रामीण रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना (RSETI)

इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण देकर और व्यवसाय जमाने में मदद कर ग्रामीण क्षेत्रो में स्वरोजगार का सृजन करना है।

शहरी गरीबो हेतु

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

कौशल प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाता है।

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए

मल्टी सेक्टोरल डवलपमेंन्ट प्रोग्राम

अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियॉ सुधारना एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा अल्पसंख्यकों की सघनता वाले ज्ञात क्षेत्रो में असंतुलन कम करना।

परवाज

गरीबी रेखा से नीचे के अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा कौशल तथा रोजगार के द्वारा सशक्त बनाकर मुख्यधारा में लाना।

अजा/अजजा के युवाओं हेतु

अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की उपयोजना

महत्वपूर्ण खामियां दूर करने और छूटी हुई अहम् जानकारी प्रदान करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए परिवारोन्मुख योजनाओं पर जोर।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

पात्र अनुसूचित जनजातियों को कौशल एवं उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एजेन्सियों को एक साथ लाकर अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए

विकलांगो के लिए व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र

निःशक्त व्यक्तियो को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने और देश का उत्पादक नागरिक बनाने के दृष्टिकोण से सहयोगी प्रशिक्षण एवं कौशल प्रशिक्षण के द्वारा उसे उचित रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाते हुए उसके व्यवसायिक पुनर्वास का ख्याल रखना।

निःशक्तता पर प्रशिक्षण देने वाले संस्थानो द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम

पं. दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान आदि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करते है।

उद्यमियों के लिए

स्वरोजगार कार्यक्रम

3–7 दिनों के उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों मे क्षमता निर्माण।

उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

उपक्रम स्थापित करने के लिए आवश्यक औद्योगिक गतिविधियों के विभिन्न पक्षो की जानकरी देकर युवाओं की प्रतिभा को विकसित करने के लिए नियमित रूप से उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

सामान्य सामाजिक आर्थिक पिछड़े एवं शिक्षा से वंचित वर्ग हेतु जन शिक्षण संस्थान

निरक्षर नवसाक्षर और स्कूल छोड चुके लोगों में उनके क्षेत्र में मौजूद बाजार के अनुसार ही कौशल को पहचान कर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जन शिक्षण संस्थान की स्थापना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए

क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहयोग योजना

युवाओं में कौशल विकास, रोजगार संबंधी योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि और स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त उपलब्ध करना।

कौशल विकास अधोसंरचना का विकास।

भारत के सामने अभी जो महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है वह यह है कि भारत के सबसे ज्यादा उत्पादक समूह (15 से 60 वर्ष के बीच उम्र वाली जनसंख्या) का विस्तार होगा, जबकि अधिकतर विकसित देशो और कुछ विकासशील देशो में यह समूह घटेगा। इस अवसर को पहचान कर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सार्थक रोजगार सृजन वाली वृद्धि के चक्र में पहुंचा सकते है। वर्ष 2022 में दुनिया की कामकाजी जनसंख्या में लगभग 15 से 17 प्रतिशत भारतीय होगें।

चुनौतियाँ

अधिकांश युवा उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रो में रोजगार प्राप्त करने हेतु वांछित कौशल, ज्ञान आदि अर्जित नहीं कर पाते है। जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। अकादमिक जगत द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं उद्योगों की आवश्यकताओं के मध्य बढ़ती खाई के कारण भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता हुई है। कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य की संभावनों को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीखकर निकले,उसके बाद बदलती परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए।

सामाजिक दबावों के कारण युवा औपचारिक अकादमिक डिग्री को चुनते है। भारत में सही ढंग से कौशल विकास न हो पाने का एक कारण यह भी है कि विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में अपने क्षेत्र के लिए अलग–अलग कौशल विकास योजनाएं चला रखी है और उनमें समन्वय भी नहीं है।

इतने बड़े लक्ष्य को संख्यात्मक दृष्टि से प्राप्त करने के दौरान सीखे गए कौशलों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुशल प्रशिक्षकों की बड़े स्तर पर आवश्यकता है। भारत में तकनीकी प्रशिक्षण के संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। संगठित क्षेत्र की सीमित क्षमता के कारण बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कौशल विकास नीति में विशेष प्रावधान होने चाहिए। अपर्याप्त आय, बंधुआ मजदूरी करना, ऋणग्रस्तता, शोषण का शिकार होना, खराब कार्य परिस्थितियॉ, अनिश्चित कार्यस्थल आदि अन्य समस्याएॅ है।

वैश्विक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान प्रारूप को आज के बदलते परिदृश्य में उचित नहीं माना गया है। एशियन विकास बैंक (2008) के अनुसार केवल बुनियादी शिक्षा बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा में पर्याप्त नही है। समाज में ब्लू कॉलर नौकरियों की तुलना में व्हाईट कॉलर नौकरियों को अधिक महत्व दिया जाता है।

भारत की रोजगार उद्यम प्रौद्योगिकी कौशल (जेट्स) व्यवस्था में नवाचार

रोजगार सर्जन

ग्रामीण भारत में जहॉ आजीविका के आधुनिक साधनों के लिए तेजी से और भी विकल्प तैयार किए जाने चाहिए। सर्वेक्षण से यह पता चला है कि ऐसे युवा पर्याप्त संख्या में है जिन्हे यदि किसी उपयोगी कार्य में लगा दिया जाए तो वे अपने जिलो में और उनके आस–पास रहना ज्यादा पसंद करेगें।

ग्रामीण उद्यम

प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण जिला स्तर पर रोजगार/कैरियर के अवसरो, कौशल प्राप्त करने के स्तरों

और उद्यमशील करियर के मार्गों का ऑकलन करने में किया जा रहा है। हैड हैल्ड हाई (HHH) ने चार महीनों में कम साक्षरता वाले युवाओं को अंग्रेजी बोलने वाले, कम्प्यूटर के जानकार, व्यववसायिक कामगार के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी सहायक शिक्षण की भी व्यवस्था की है।

आय अर्जित करने के क्रम में कौशलों से लाभ उठाना

ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी आधारित प्रवेश द्वार और मंच तैयार करने के अवसर उपलब्ध है जो ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाएगें जिससे वे निगमों की बाजार तक पहुंच कायम करने में सहायता कर सके और कारोबार में सहायक सेवाएं प्रदान कर सके।

भावी रणनीतियॉ

21वीं सदी में कौशल निर्माण के लिए व्यवस्था अनिवार्य रूप से 7 मूलभूत सिद्धांतो पर आधारित होनी चाहिए –

1. युवाओं को अवसरो और नौकरियों की तलाश करने में सक्षम बनाने और अपेक्षित कौशलों को जल्द सीखने के लिए तैयार करना चाहिए।
2. छात्रो को बेहतर शिष्य बनाने पर अनिवार्य रूप से बल दिया जाना चाहिए।
3. नियोक्ता अनिवार्य रूप से कौशल विकास की प्रक्रिया के ग्राहक नही बल्कि उसका अभिन्न अंग होना चाहिए।
4. उद्यमों को अनिवार्य रूप से तेज और बेहतर सीखने वाले उद्यम बनना होगा।
5. किसी भी उद्यम के पास सीखने और अपनी योग्यताओ में सुधार लाने का एक मात्र संसाधन इंसान है। इंसान किसी भी उद्यम का एकमात्र अधिमूल्यित परिसंपत्ति हैं इसलिए नियोक्ता अपने उद्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ डिजिटीकरण ही नही करेगें बल्कि उन्हे मानवीय बनाने की दिशा में कार्य करेगें।
6. जेट्स व्यवस्था की संचरना गतिशील नेटवर्क वाली होनी चाहिए।
7. सरकार की प्रधान भूमिका उद्यमों द्वारा अनिवार्य तौर पर अनुकरण किए जाने वाले मानको के साथ ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी होगी।

समावेशी विकास के लिए सभी स्तरो पर कुशल मानव संसाधन अनिवार्य है। कौशल प्रशिक्षण को एक ही समय में शिक्षा तथा रोजगार से जोड़ने की अटूट प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सरकारी एजेन्सियॉ और व्यवस्था अकेले यह काम पूरा नही कर सकते। कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, कौशल प्रशिक्षण के अनुभव वाले शिक्षण संस्थानो को जुटना पड़ेगा। सभी वर्गो को समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही समाज के अन्य वर्गो जैसे महिलाओं, हाशिए पर पड़े लोगों, जनजातियों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो उनकी विविध एवं विशिष्ट जरूरतों के अनुसार हो। हाशिए पर पड़े अधिकतर वर्गों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में निरक्षरता एक समस्या हो सकती है लेकिन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में पारिवारिक मसलो और समाजिक बंधनो से भी जूझना पड सकता है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

भारतीय शहर नौकरी पाने के इच्छुक बहुसंख्य भारतीय युवाओं को अच्छी सुविधाऍ और आजीविका उपलब्ध कराने की स्थिति में नही होगें। इसलिए ग्रामीण भारत में सतत् और सम्मानपूर्ण आजीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से मजबूती प्रदान की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण युवको को आधुनिक नौकरियॉ पाने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सके।

कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार ही एकमात्र चुनौती नही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पर्धा करने योग्य बनने के लिए कौशल की गुणवत्ता बढ़ाना भी एक चुनौती ही है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति 2015 गति के साथ मानक के अनुरूप एवं सतत् रूप से व्यापक स्तर पर कौशल प्रदान करने की चुनौती से निपटने का प्रस्ताव करती है। उसका लक्ष्य कौशल प्रदान करने के लिए देश में चल रही सभी गतिविधियों को एक सर्वोच्च रूपरेखा प्रदान करना है।

सरकार द्वारा अब तक कौशल विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक कौशलों को सम्मिलित किया जा चुका है। जिसमें परम्परागत हस्तकला एवं अन्य व्यावसायिक कुशलताऍ सम्मिलित है। इस प्रक्रिया द्वारा न सिर्फ भारत के परम्परागत कौशल को बचाया जा सकता है बल्कि उन्हे संशोधित एवं नवीन बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। वही दूसरी तरफ औद्योगिक जगत के विनिर्माण क्षेत्र से जुडी नवीन कौशल का विकास करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसरो का सृजन किया जा सकता है।

किसी भी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय निकायों से बेहतर कोई एजेंसी हो नही सकती। यही बात कौशल विकास योजनओं पर भी लागू होती है। ग्राम पंचायतों व नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र वाले विषयों से संबंधित कौशल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अगर इन निकायों के हाथों में हो तो शायद एक नई कौशल क्रांति का सूत्रपात हो सके।

निष्कर्ष

1. कौशल विकास योजनाओं से देश का विकास होगा। यह उपकल्पना सत्य सिद्ध होती है। युवा स्वयं ही राष्ट्र निर्माण के स्त्रोत नहीं बन सकते। उसके लिए उन्हे, प्रशिक्षित करना होगा। हमें हर युवा को कौशल प्रदान करना होगा जिससे वह अपनी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग कर सके। केवल हाथों के श्रम से ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क से भी नव राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। कौशल विकास की सबसे अधिक आवश्यकता आज ग्रामीण भारत को है, क्योंकि वहां युवाओं को आसानी से प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नई पहल की है –दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आजीविका आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करना है जिससे वे समाज में अपनी सकारात्मक भागीदारी कर सके।

2. महिला सशक्तिकरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यह उपकल्पना सत्य सिद्ध होती है। यदि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों के बराबर हो जाए तो भारत की GDP में 27 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। लेकिन ये भागीदारी बिना उचित कौशल प्रशिक्षण के संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इंडिया, जैसे कार्यक्रम "स्वयं सहायता समूहों" के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे है। उज्जवला योजना, सबला योजना, सक्षम योजना, आदि कार्यक्रमों से महिलाएं प्रशिक्षित हो रही है।

स्किल इंडिया मिशन का महिलाओं के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं के लिए सीटे बढ़ाने के साथ ही आरक्षण के माध्यम से कौशल विकास को सुनिश्चित करना है। मुद्रा अर्थात् माइक्रो यूनिट्स डवलपमेंन्ट एण्ड रिफाइनेन्स एजेन्सी लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य वित्त रहित को वित्त पोषित कराना है। इसमें महिलाओं के लिए महिला उद्यम निधि, नामक एक विशेष क्रार्यकम का प्रावधान किया गया है। स्टैण्ड अप इंडिया का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना है।

कौशल एवं ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तिया है।

कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों से संबंधित समस्त जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार हो। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी स्तर पर चल रहे रोजगार केन्द्रो द्वारा इस ओर कार्य किया जा सकता है। ये समय समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति, उपलब्धता, पंजीयन, प्रक्रिया, क्षमता आदि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए। रोजगार केन्द्र एक निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र के रूप में भी विद्यार्थियों को अपनी अभिक्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव करने में उपयोगी हो सकते है। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालीन स्तर पर ली जा सकती है।

सघन प्रशिक्षण को रोजगार प्राप्ति से जोडने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्लेसमेन्ट की प्रक्रिया से प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता है। गुणवत्ता पूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढ़ाने वाले प्रशिक्षकों संस्थाओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रशिक्षुओं से कौशल विकास कार्यक्रमों, संस्थाओं के बारे में फीड बैक लिया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन होना एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् सीखे गए कौशल का मूल्यांकन, पुर्नमूल्यांकन आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *शालिनी – शिक्षा के जरिए कौशल विकास, योजना, जून 2010, पृ.क्र. 9*
2. *सरोज कुमार शुक्ल – कौशल विकास मेरूदण्ड, योजना, अक्टूबर 2010, पृ.क्र. 47*
3. *प्रो. के.एम.मोदी – भारत निर्माण ग्रामीण विकास का आधार, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2012, पृ.क्र. 31*
4. *डॉ. राकेश अग्रवाल – मेक इन इंडिया – एक दूरदर्शी अभियान, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2014,पृ.क्र. 25*
5. *दिलीप चिनाय – भारत में कौशल विकास परिदृश्य की नयी परिभाषा, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 9*
6. *अरूण मायरा एवं मदन पड़की – रोजगार, उद्यम, प्रौद्योगिकी एवं कौशल,योजना,अक्टूबर 2015,पृ.क्र. 13*
7. *रमेश सिंह – आर्थिक समेकन का नया रास्ता, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 19*
8. *सुनीता सांची – वंचितो की रोजगार क्षमता में सुधार, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 23*
9. *एस.एस. मंथा – कौशल–भारत की प्रगति का अनिवार्य घटक, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 31*
10. *पवन रेखा कुमारी – स्किल इंडिया फ्रेमवर्क – आधी आबादी के लिए पूरा मौका, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 35*
11. *रमेश भारद्वाज – बुनियादी तालीम और कौशल विकास, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 38*
12. *कुमार प्रशांत – कौशल विकास का गांधी मार्ग, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 40*
13. *अरविंद कुमार सिंह – कृषि क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 51*
14. *मनोज जोशी, अरूण भदौरिया, शैलजा दीक्षित – क्षमताओं और संसाधनों को पूंजी में बदलना, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 55*
15. *विष्णु राजगढ़िया – कौशल विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 59*
16. *तरूण कुमार शर्मा – कौशल विकास में चुनौतियॉ एवं उद्यमिता, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 63*
17. *सचिन अधिकारी – मानव संसाधन संवर्द्धन का माध्यम , योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 69*
18. *पीयूष कुमार दुबे – विकलांगजनों के कौशल से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, योजना, अक्टूबर 2015, पृ.क्र. 73*
19. *लक्ष्मीदास – गॉधी विचार से स्किल डवलपमेन्ट, योजना अक्टूबर 2016, पृ.क्र. 36*
20. *जतिंदर सिंह – कौशल विकास व युवा सशक्तिकरण, योजना, मई 2017, पृ.क्र. 35*
21. *योजना एवं कुरूक्षेत्र के प्रकाशक – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली*